

भारत सरकार
भारी उद्योग मंत्रालय

लोकसभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1618
10.02.2026 को उत्तर के लिए नियत

अग्नि प्रवण इलेक्ट्रिकल वाहन

1618. श्री अनिल यशवंत देसाई:

क्या भारी उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या हाल ही में इलेक्ट्रिक वाहनों (ईवी) में आग लगने की बड़ी संख्या में घटनाएं हुई हैं और यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के दौरान देश में आग लगने की ऐसी कितनी घटनाएं हुई हैं;
- (ख) इन घटनाओं के मूल कारण क्या हैं और सरकार और उद्योग विशेषज्ञों द्वारा की गई जांच का क्या परिणाम निकला;
- (ग) क्या अन्य देशों में भी इलेक्ट्रिक वाहनों में आग लगने की ऐसी घटनाएं आम हैं; और
- (घ) क्या आग लगने की घटनाओं के कारण होने वाली जानमाल की हानि को ध्यान में रखते हुए हमारे देश में इसके निर्माण और उपयोग को बंद करना वांछनीय नहीं है?

उत्तर

भारी उद्योग राज्य मंत्री
(श्री भूपतिराजू श्रीनिवास वर्मा)

क): सरकार इलेक्ट्रिक वाहनों से जुड़ी आग की घटनाओं से अवगत है। हालांकि देश भर में बैटरी से आग लगने की घटनाओं का पता लगाने वाला कोई विशिष्ट, केंद्रीकृत डेटा उपलब्ध नहीं है, फिर भी सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (एमओआरटीएच) ने सड़क दुर्घटनाओं की निगरानी के लिए ईडीएआर (इलेक्ट्रॉनिक विस्तृत दुर्घटना रिपोर्ट) पोर्टल लागू किया है। ईडीएआर पोर्टल, जिसने 14.11.2022 से मोटर चालित इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए एक समर्पित क्षेत्र को शामिल करना शुरू किया, पर उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, पिछले तीन वर्षों में विभिन्न राज्यों में इलेक्ट्रिक वाहनों से जुड़ी कुल 23,865 दुर्घटनाएं दर्ज की गई हैं, जिसका विवरण नीचे तालिका में दिया गया है। इनमें से, नीचे दर्शाए अनुसार, इसी अवधि के दौरान विभिन्न राज्यों में इलेक्ट्रिक वाहनों में आग लगने की 26 घटनाएं दर्ज की गई हैं।

क्र.सं.	वर्ष	इलेक्ट्रिक वाहनों से जुड़े दुर्घटनाओं की संख्या	इलेक्ट्रिक वाहनों में आग लगने से संबंधित दुर्घटनाओं की संख्या
1	2023	5,594	8
2	2024	7,817	9
3	2025	10,454	9
	कुल	23,865	26

(ख): इन घटनाओं के मूल कारणों का पता लगाने के लिए, रक्षा मंत्रालय (एमओआरटीएच) ने रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन (डीआरडीओ), भारतीय विज्ञान संस्थान (आईआईएससी) बेंगलुरु और नौसेना विज्ञान और प्रौद्योगिकी प्रयोगशाला (एनएसटीएल) विशाखापत्तनम के स्वतंत्र विशेषज्ञों की एक जांच टीम का गठन किया। इस समिति और विशेषज्ञों की एक बाद की समिति की सिफारिशों के आधार पर, सरकार ने निम्नलिखित उपाय किए गए:

(i) सुरक्षा मानक संशोधन: सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (एमओआरटीएच) ने इलेक्ट्रिक वाहनों में बैटरी और उसके घटकों के साथ-साथ बीएमएस और संबंधित प्रणालियों के लिए सुरक्षा मानकों के निर्माण का सुझाव देने के लिए विशेषज्ञों की एक समिति का गठन किया था। समिति की सिफारिश के आधार पर, एमओआरटीएच ने का.आ. 4567 (अ) दिनांक 28.09.2022 के माध्यम से ऑटोमोटिव उद्योग मानकों, एआईएस:156 [एल (चार पहियों से कम और क्वाड्रीसाइकिल से कम का मोटर वाहन) श्रेणी के इलेक्ट्रिक पावर ट्रेन वाहनों के लिए विशिष्ट आवश्यकताएं] और एआईएस:038 (संशोधित 2) [एम श्रेणी (यात्री परिवहन के लिए उपयोग किया जाने वाला कम से कम चार पहियों वाला मोटर वाहन) एन श्रेणी (माल परिवहन के लिए उपयोग किया जाने वाला कम से कम चार पहियों वाला मोटर वाहन) इलेक्ट्रिक पावर ट्रेन वाहनों के लिए विशिष्ट आवश्यकताएं] में संशोधन किया है ताकि एल, एम और एन श्रेणी के इलेक्ट्रिक पावर ट्रेन वाहनों की ट्रेक्शन बैटरी के लिए तकनीकी आवश्यकताएं निर्धारित की जा सकें। उक्त संशोधन 01.12.2022 से लागू होंगे।

(ii) उत्पादन की अनुरूपता (सीओपी): एमओआरटीएच ने दिनांक 19.12.2022 को सा.का.नि. 888(अ) के माध्यम से एक अधिसूचना जारी की थी, जिसमें क्वाड्रीसाइकिल, ई-रिक्शा, दुपहिया और चौपहिया वाहनों सहित इलेक्ट्रिक वाहनों की सभी श्रेणियों के संबंध में उत्पादन की अनुरूपता (सीओपी) की आवश्यकताओं का उल्लेख किया गया था।

(ग): भारी उद्योग मंत्रालय (एमएचआई) द्वारा ऐसा कोई अध्ययन नहीं किया गया है।

(घ): सरकार का देश में इलेक्ट्रिक वाहनों के निर्माण या उपयोग को रोकने का कोई प्रस्ताव या इरादा नहीं है। उत्पादन रोकने के बजाय, सरकार की रणनीति अधिक कठोर परीक्षण मानकों और नियामक निरीक्षण के माध्यम से सुरक्षा तंत्र को मजबूत करना है, साथ ही ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन को कम करने के लक्ष्यों को पूरा करने और जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता को कम करने के लिए इसके उपयोग को बढ़ावा देना जारी रखना है।
